



शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर  
धरमपुरा-2, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001  
**Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar**  
Dharamपुरा-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001  
Telephone 07782-229037, 229213 Website: www.smkvbastar.ac.in



क्रमांक / 402 / 147 / सा.प्रशा. / आ.शि.स. / 2026

जगदलपुर, दिनांक 11 / 02 / 2026

—:: आदेश ::—


महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2015) की धारा-4 (1) एवं धारा-4 (2) के प्रावधान अनुसार शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee) की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	अधिनियम की धारा	नामांकित व्यक्ति का नाम	अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	2	3	
1	धारा-4 (1) (अ) के प्रावधान अनुसार	डॉ. सरला आत्राम, प्राचार्य, शासकीय गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागांव (छ.ग.)	पीठासीन अधिकारी
2	धारा-4 (2) (ब) के प्रावधान अनुसार	संकाय सदस्य 1. डॉ. सुकृता तिर्की, सह प्राध्यापक, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.) 2. डॉ. शरद नेमा, प्राध्यापक, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.) गैर - प्राध्यापक कर्मचारी 1. श्रीमती शहनाज बेगम, सहायक ग्रेड-1, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.) 2. श्रीमती रेणुका सिन्हा, सहायक ग्रेड-3 शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)	सदस्य  सदस्य
3	धारा-4 (2) (स) के प्रावधान अनुसार	छात्र/छात्रायें स्नातकोत्तर 1. कु. बबीता वैद्य, एम.एस. डब्ल्यू द्वितीय सेमेस्टर, समाज कार्य अध्ययनशाला, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.) 2. कु. भूमिका वर्मा, बी.एड., द्वितीय सेमेस्टर, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.) छात्रा शोध 3. कु. हेमा कश्यप, शोधार्थी, वानिकी एवं वन्यजीव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)	सदस्य
4	धारा-4 (2) (द) के प्रावधान अनुसार	सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्रीमती के. मोनिका, सोसाईटी ऑफ ट्राईबल वेलफेयर एण्ड रूरल एजुकेशन, महावीर नगर, धरमपुरा, जगदलपुर (छ.ग.) पिन कोड-494001	सदस्य

*(Signature)*


अधिनियम की धारा-4 (3) अनुसार समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल नामांकन किये जाने की तिथि से तीन वर्ष के लिये रहेगा। अधिनियम की धारा 4 (5) अनुसार समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जा सकेगा। शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत महिलाओं से लैंगिक उत्पीड़न संबंधी प्राप्त शिकायतों पर उपरोक्तानुसार गठित आंतरिक शिकायत समिति उक्त अधिनियम एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) नियम, 2015 The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2015) के प्रावधानों के अनुसार शिकायत जांच की कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमादित)



कुलसचिव

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर,

 जगदलपुर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 11/02/2026


पृ. क्रमांक / 403 / 147 / सा.प्रशा. / आ.शि.स. / 2026  
प्रतिलिपि:-

1. माननीय कुलपति महोदय, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त विभाग प्रमुख / विभागाध्यक्ष / अधिकारी / शिक्षक / कर्मचारी, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सर्वसंबंधित .....  
को सूचनार्थ।
4. नस्ती फोल्डर



सहायक कुलसचिव (स्था./प्रशा.)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर,

 जगदलपुर (छ.ग.)